संख्या-28/2024/आई/811001/001-23-7-2024-23-7099-93-2024

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता, बजट (क) वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक: 29 नवम्बर, 2024

विषय- रिट याचिका संख्या-1493/2022 मै0 धर्मेन्द्र कुमार ठेकेदार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2024 के अनुपालन में डिक्रीटल मद के अन्तर्गत धनावंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), बजट (क) वर्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-6862बी0जी0/(102) जी0एस0टी0/डिक्रीटल मद मांग प्रस्ताव/2024-25, दिनांक 12.11.2024 एवं मुख्य अभियन्ता, चित्रकूट धाम (बांदा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बांदा के पत्रांक 4502/10लेखा-बा0क्षे0/24, दिनांक 14.11.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त रिट याचिका संख्या-1493/2022 मै0 धर्मेन्द्र कुमार ठेकेदार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2024 के अनुपालन में जी0एस0टी0 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत हो जाने के कारण निम्न मार्गों हेतु अतिरिक्त जी0एस0टी0 की धनराशि के भुगतान हेतु धनराशि **रू0 4.70 लाख (रूपये चार लाख सत्तर हजार मात्र)** का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0सं0	**कार्य का नाम**	**अतिरिक्त जी0एस0टी0 की धनराशि (रूपये लाख में)**
01	अटारी मजरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.04
02	सुरौंधा से महादेव सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.66
	योग	**4.70 (चार लाख सत्तर हजार मात्र)**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 4,70,000 (रूपये चार लाख सत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

संख्या-28/2024/आई/811001/001-23-7-2024-23-7099-93-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चित्रकूट।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, चित्रकूटधाम बांदा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बांदा।
8- अधीक्षण अभियन्ता, बांदा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बांदा।
9- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट।
10-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11-लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।